प्रकरण संख्या–27 / 2016 GCMS ID-2016/00075 तारीख रजु–09.11.2016

न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

राजेन्द्रसिंह पुत्र उदयसिंह उम्र 55 साल जाति जाट निवासी हुकमीखेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) – अपीलार्थी

बनाम

1. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) हिण्डौन जिला करौली (राज0)
2. अतरसिंह पुत्र राजाराम उम्र 82 साल जाति जाट निवासी हुकमीखेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0) – प्रत्यर्थीगण

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 27.09.2016 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपजिला कलक्टर) हिण्डौनसिटी तहत धारा 23 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण नियम 1960

निर्णय

दिनांक–15.06.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र हिण्डौनसिटी की भाग संख्या 42 ग्राम हुक्मीखेड़ा की मतदाता सूची में तत्कालीन समय में क्रम संख्या 550 पर दर्ज स्वयं के नाम में स्वयं की बल्दियत (पिता का नाम राजाराम के स्थान पर प्रभु) संशोधित करवाये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी के कार्यालय में प्ररूप 8 में आवेदन पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आवेदन को दिनांक 30.12.2013 को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29.12.2014 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 का आदेश अपास्त किया जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 29.12.2014 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण की पुनः सुनवाई की गई एवं अपने आदेश दिनांक 27.09.2016 में विस्तृत निर्णय पारित करते हुए अपने पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 30.12.2013 को यथावत् रखा गया। उक्त आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हिण्डौन सिटी के द्वारा रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 अतरसिंह की मतदाता सूची ग्राम हुकमीखेडा भाग संख्या 42 के क्रमांक संख्या 550 में अतरसिंह की बल्दीयत (सन ऑफ) राजाराम के स्थान पर प्रभू संशोधन किया है। वह आदेश दिनांक 30.12.2013 जो प्रारूप 8 नियम 13(3) पर दिया गया है, उसे यथावत् रखे जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। यह आदेश पूर्णतया आरबिट्रेरी है। पत्रावली पर जो रिकॉर्ड पेश किया गया है, उसके विपरीत है। अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 के पिता का नाम राजाराम है। अतरसिंह के पिता का नाम प्रभू सिंह नहीं है। पूर्व अपील राजेन्द्रसिंह बनाम निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी में प्रकरण संख्या 038 / 2014 में अपीलाण्ट ने दस्तावेज पेश किये हैं जो अपील स्वीकार कर रिमाण्ड हुई है। पूर्व में भी ऐसे आवेदन रेस्पोण्डेण्ट अतरसिंह वर्ष 1965, 1969 में 1973 में वर्ष 2007 में वर्ष 2010 में खारिज किये गये हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.12.2013 को निरस्त नहीं करने में, यथावत् रखने में, कानूनी भूल की है। पूर्व में भी दिनांक 23.02.2004 को निर्णय अपील से हुआ था। दिनांक 08.03.2004 को अपील अतरसिंह खारिज हुई है। अपील संख्या 76 / 2004 दिनांक 29.05.2005 के दिवस वापिस

जिला कलक्टर करौली

की गई। वर्ष 2007, 2009, 2008, 2010, 2011, 2012 एवं 2014 की नामावली निर्वाचन में अतरसिंह की बल्दियत (सन ऑफ राजाराम) ही दर्ज है। इस प्रकार दिनांक 27.09.2016 का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय आरबिट्रेरी है। विधि सम्मत नहीं है। अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना बी.एल.ओ. की राय लिये बगैर सहमति के फार्म 8 को स्वीकार किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। निर्वाचन नियमों के विपरीत है। अपास्त योग्य है। दिनांक 27.09.2016 के निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपना विवेचन निर्णय किया है जो मात्र वसीयत के आधार पर है जो भौती बेवा राजाराम जाट की वसीयत के संबंध में है जो पूर्णतया असत्य है क्योंकि यह वसीयत अतरसिंह की जन्मदाता माता ने की है जो मां–बेटा की षडयंत्र से की गई कार्यवाही है। अतरसिंह एवं उसकी माता भौती दोनों ही मिलकर प्रभु की जायदाद जमीन को हडपना चाहती है जबकि सन् 1965 में स्वयं अतरसिंह ने अपने आपको राजाराम का पुत्र माना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज अपनी अपील में पेश किये हैं वह अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये है, उनका अपने निर्णय में लेश मात्र भी विवेचन नहीं किया है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय आरबिट्रेरी तौर पर रेस्पोण्डेण्ट नंबर 2 को परिवरिश करते हुये पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जब एक बार प्रारूप–8 निरस्त हो गया तब दोबारा हर बार वही स्थिति पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। प्रभू का पुत्र होने का कोई जन्म प्रमाण–पत्र अतरसिंह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतरसिंह का पिता प्रभू नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2016 अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने उक्त प्रकरण जैर अपील को अन्यत्र न्यायालय स्थानांतरण करने का आवेदन किया हुआ था कि अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आरबिट्रेरी तौर पर संभावना रखते हुये निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 27.09.2016 के दिवस का है। नकल निर्णय को आवेदन दिनांक 04.10.2016 की दिवस किया गया है। नकल दिनांक 16.10.2016 को तैयार होकर दिनांक 17.10.2016 को प्राप्त हुयी है। नकल में लगने वाले समय को अपवर्जित करते हुये अपील अंदर मियाद पेश है। अंत में अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2016 अपास्त किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट नंबर 1 द्वारा प्रारूप 8 मतदाता सूची शुद्धिकरण आदेश दिनांक 30.12.2013 जो रेस्पोण्डेण्ट नंबर 2 के आवेदन पर किया गया है उसे भी अपास्त किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट नंबर 1 को आदेशित किया जावे कि वह मतदाता सूची विधानसभा वर्ष 2014 एवं भविष्य में किये गये इन्द्राज विधानसभा क्षेत्र 082 हिण्डौन की भाग संख्या 42 क्रमांक 550 पर दर्ज किये गये हैं उन्हें निरस्त किया जाकर अतरसिंह की बल्दियत राजाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने मियाद के बिन्दु पर ऐतराज पेश करते हुए निवेदन किया है कि उपरोक्त उनवानी अपीलाण्ट ने दिनांक 27.09.2016 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी उपजिला कलक्टर हिण्डौन सिटी के आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट के वकील श्री रमेश गुप्ता एडवोकेट हिण्डौन सिटी ने आदेश दिनांक 27.09.2016 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि आवेदन पत्र राजेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 04.10.2016 को पेश किया था जिस पर संबंधित न्यायालय के कार्यालय ने दिनांक 06.10.2016 को प्रतिलिपि तैयार होने पर पीठासीन अधिकारी के

जिला कलक्टर
करौली

हस्ताक्षर कराये। दिनांक 06.10.2016 को नकल तैयार होने की तारीख को अपीलाण्ट एवं तेजसिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह ने साज कर दिनांक 06.10.2016 नकल तैयार करने की तारीख को जालसाजी से पहले 6 को एक बनाने की कोशिश की फिर 6 के पीछे 1 बढ़ाकर 16 व 11 तारीख म्याद की दृष्टि से वैल्यूऐबिल राईट प्राप्त करने की दृष्टि से जालसाजी की है। इसकी नकल में दिनांक 16.10.2016 को लिखकर रमेश एडवोकेट के मुंशी ओमप्रकाश के जाली हस्ताक्षर ओमी कर जालसाजी की है। दिनांक 11.10.2016 को दशहरे का अवकाश था तथा दिनांक 16.10.2016 को रविवार का अवकाश था। हकीकत यह है कि दिनांक 06.10.2016 को तैयार नकल पर अपीलाण्ट व उसके ताऊ के लड़के तेजसिंह ने मिलकर फर्जी कार्यवाही की है। मूल प्रार्थनापत्र नकल अपीलाण्ट चुनाव शाखा हिण्डौन की कस्टडी में है। अंत में इस जालसाजी की रिपोर्ट मय मूल दस्तावेज मंगाकर अपील में मियाद के बिन्दु पर बहस सुनकर आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

उक्त ऐतराज पर अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि आवेदन अप्रार्थी संख्या 2 वेग व निराधार है। मुकदमे को देरीना करने को पेश किया है। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 की प्रमाणित प्रति जो पेश की है इसमें अपीलाण्ट व उसके भतीजे तेजसिंह द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है जो नकल जैसी अपीलाण्ट को मिली है वह उसने पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर नहीं होकर मियाद में है। आवेदन रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि आवेदन रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि माननीय न्यायालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा दिनांक 23.02.2004 को यह निर्णय पारित किया गया है कि अतरसिंह, राजाराम का ही पुत्र है। इस निर्णय की अपील प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पेश की गई जो अभी तक विचाराधीन है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 में प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम प्रभु स्वीकार किया गया जिसकी अपील किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा उक्त आदेश को अपास्त कर उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु आदेशित किया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने के लिए आदेशित किया गया जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 में प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह के पिता का नाम प्रभु ही यथावत् रखा गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 23.02.2004 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम राजाराम स्वीकार किया गया है। इसलिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2016 Res Judicata की श्रेणी में आता है। सिविल कोर्ट ने अपने आदेश को सहकारी समिति में की गई प्रविष्ठियों तक ही सीमित रखा है। सिविल कोर्ट के निर्णय की अपील की जा चुकी हैं जो अभी लंबित है। सन् 1959 की सहकारी समिति की मतदाता सूची एवं सहकारी समिति से लिये गये ऋण दस्तावेजों में भी प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता नाम राजाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम राजाराम ही है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील प्रत्यर्थी संख्या 2 ने बहस के दौरान कथन किया है कि मतदाता रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के नियम 13(3) के तहत मतदाता सूची में की गई प्रविष्ठियों में वही व्यक्ति आक्षेप कर सकता है जिससे वह प्रविष्ठि संबंधित हो। विधानसभा क्षेत्र

जिला कलक्टर
करौली

हिण्डौनसिटी के भाग संख्या 42 ग्राम हुक्मीखेड़ा की तत्कालीन मतदाता सूची की क्रम संख्या 550 का अपीलार्थी से कोई संबंध नहीं है। इसलिये अपीलार्थी को उक्त प्रविष्ठि पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। सन् 1971 से 1999 तक की मतदाता सूचियों में प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह की बल्दियत (पिता का नाम) प्रभु ही रहा है। अपीलार्थी द्वारा कई बार बल्दियत में नाम संशोधित करने हेतु (प्रभु के स्थान पर राजाराम) आवेदन किये गये लेकिन वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी द्वारा खारिज किये गये हैं। इसी संबंध में सन् 1999 व 2000 के निर्णय भी अपीलार्थी के विरुद्ध रहे हैं जिनकी कोई अपील अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। इसलिये इसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा किये गये संशोधन भी **Res Judicata** की श्रेणी में आते हैं। राजाराम एवं प्रभु भाई रहे हैं। राजाराम के केवल एक ही पुत्री रही है एवं कोई पुत्र नहीं रहा है। राजाराम की पत्नि ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम वसीयत की है जिसे अपीलार्थी गोदनामा बताता रहा है। राजाराम की पत्नि ने भी अपनी वसीयत में प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने पति के भाई का पुत्र ही माना है। स्वयं का पुत्र नहीं माना है। दिनांक 23.02.2004 के निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सन् 1971 से 1999 तक की मतदाता सूचियों में प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम अतरसिंह पुत्र प्रभु ही रहा है। सहकारी समिति में की गई प्रविष्ठियों का निर्वाचन मतदाता सूची की प्रविष्ठि पर प्रभाव लागू नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात होता हो कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह को राजाराम द्वारा गोद लिया गया हो। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा मियाद बाहर जाकर अपील पेश की गई है जिससे यह अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस के उपरांत अपीलार्थी ने लिखित पेश कर निवेदन किया है कि निर्वाचन अधिकारी हिण्डौन के समक्ष विपक्षी अतरसिंह ने अपने पुत्र कुंवर सिंह पटवारी (राजस्व पद) जो हिण्डौन तहसील में कार्यरत रहते हुये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा रिश्वत लेते हुए ट्रेप किया गया। ट्रेप के बाद जिसका पदस्थापन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय करौली के भू–अभिलेख अनुभाग कमरा नं. 132 में किया गया। इसके उपरांत अपने पिता अतर सिंह के द्वारा प्रार्थीयों पर किये गये झूंठे केसों में सांठ–गांठ कर जुगाड़ बैठाना तथा उसके बाद तहसील व मुंसिफ कोर्टों के चक्कर लगाता रहता, के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी से मिली भगत कर गलत तथ्य प्रस्तुत करके एवं पूर्व में किये गये प्रार्थी के पक्ष में श्रीमान् जिला कलेक्टरों के निर्णयों को एवं निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को छिपाकर आनन फानन में विधि विरूद्ध निर्णय पारित कराकर न्यायोचित कार्य नहीं किया गया है। निर्वाचन विभाग में सभी पुरानी निर्वाचक नामावलियों में जैसे सहकारी समिति हुक्मीखेडा की वोटरलिस्ट की क्रम सं. 361 पर दिनांक 15.12.59 में, निर्वाचक नामावली पंचायत मतदाता सूची वर्ष 1999 की क्र.सं. 71 पर, ग्राम सेवा सहकारी समिति की वोटर लिस्ट क्र.सं. 22 एवं खाता संख्या 32 पर वर्ष 2006 की ऋणी सदस्यों की वोटरलिस्ट ओ.बी.सी. वर्ग में, हुक्मीखेडा के राजस्व नामांतरकरण संख्या 60 पर दिनांक 12.12.59 से, राजस्व जमाबंदी हुक्मीखेडा सम्वत 2018 से 2021 में अतर सिंह पुत्र राजाराम है। इसी क्रम में निर्वाचक नामावलियों में भी अतरसिंह पुत्र राजाराम लगातार चला आ रहा है। अतः रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के बावजूद निर्वाचन अधिकारी द्वारा इससे पूर्व श्रीमान जिला कलेक्टरों के निर्णय प्रार्थी के पक्ष में होते हुए भी तथा अपने पूर्व निर्वाचक अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.02.2004 प्रार्थी के पक्ष में होते हुए भी प्रार्थी के विरूद्ध वदयांति पूर्वक नया निर्णय देकर अपने पद का दुरूपयोग कर घोर अन्याय किया है। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह द्वारा शुरू से ही निर्वाचक अधिकारियों के समक्ष

जिला कलक्टर
करौली

वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किये जिनमें पिछले 65 वर्षो से लगातार अतरसिह ने अपने पिता का नाम सभी उपरोक्त दस्तावेजों में राजाराम लिखाया जाकर समस्त कार्य उसी आधार पर किये है। अतः रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध जाकर निर्णय करने के कारण आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2016 खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी अतरसिंह बचपन में ही राजाराम के गोद चला गया था। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति प्राप्त करने के बाद अपने प्राकृतिक पिता प्रभु की सम्पत्ति में से प्रार्थीयों से पूर्व साजिश के तहत बेईमानी करके जमीन को हड़पना चाहता है। इसलिए षडयंत्र रचकर कभी ग्राम सेवा सहकारी समिति हुक्मीखेडा के रिकॉर्ड में, कभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के यहां निर्वाचक नामावली में नाम बदलवाने हेतु फार्म 8 भरकर अतर सिंह पुत्र राजाराम के स्थान पर अतर सिंह पुत्र प्रभु करवाया। इससे पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौन की अदालत में मुकदमा नं. 454/06 में अतर सिंह बनाम मलूक चंद में श्रीमान् न्यायिक मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब हिण्डौन ने अपने निर्णय दिनांक 26.04.2010 में अतर सिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत यथावत रखी गई। अपने जीवित काल में ही सहकारी समिति हुक्मीखेडा का रिकॉर्ड न्यायालय में तलब करके मलूक चंद के समय में ही फैसला सुनाया गया। आक्षेप फार्म 8 के विरूद्ध अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह ने जिला कलक्टर करौली के समक्ष अपील संख्या 9/02 प्रस्तुत की गई, जिसमें श्रीमान् जिला कलक्टर साहब ने दिनांक 02.09.2002 में प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाकर पुनः निर्वाचन अधिकारी को प्रकरण की सुनवाई के लिये प्रस्तुत किया जिसमें सभी दस्तावेजों तथा साक्ष्य लेकर श्रीमान् निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी हिण्डौन ने अपनी अपील संख्या 01/2002 में विस्तृत निर्णय दिनांक 23.02.2004 को पारित किया गया। अतर सिंह ने इस आदेश के विरूद्ध पुनः जिला कलेक्टर के समक्ष अपील सं. 11/04 में प्रस्तुत की जो खारिज कर दी गई। अतः निर्णय आदेश दिनांक 08.03.2004 प्रार्थी के पक्ष में अतर सिंह पुत्र राजाराम किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका 2960/04 अतर सिंह बनाम जिला कलेक्टर करौली वगैरह प्रस्तुत की जिसमें श्रीमान के. एस. राठौड जज साहब ने निर्णय दिनांक 25.01.05 में अतर सिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का निर्णय सुनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में पुनः निर्वाचक अधिकारी ने अपने नोटशीट दिनांक 15.03.2005 में अतरसिंह की बल्दियत राजाराम के आदेश दिये गये थे और याचिका आज तक लम्बित (पैंडिंग) है। इस प्रकार अतर सिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का अंतिम निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जावेगा। ऐसी परिस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के अनुसार अतर सिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का निर्णय कोई न्यायालय नहीं कर सकता परंतु वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ निर्वाचक अधिकारी (एस.डी.एम.) हिण्डौन सिटी के अपील आदेश दिनांक 27.09.2016 गैर कानूनी होने से खारिज होने योग्य है। निर्वाचक अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के कारण गैर कानूनी निर्णय कर अपने पद का दुरूपयोग किया है क्योंकि दिनांक 05.12.2007, 24.06.2010 तथा 14.11.2010 को अतर सिंह द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 8 उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण के आधार पर ही निर्वाचक अधिकारी ने खारिज किये गये हैं। उसके बाद 30.12.2013 को फॉर्म नं. 8 किस आधार पर स्वीकार कर लिया गया था। अतर सिंह के लडके कुंवर सिंह पटवारी के द्वारा जानबूझकर एवं गुमराह कर अपनी ही राईटिंग से प्रार्थना पत्र में लिखा गया कि ''श्रीमान्जी कुछ दिन पूर्व मेरे पिता की बल्दियत गलत कर दी गई हैं व गलत चल रही है'' जबकि बल्दियत का निर्णय कोर्टों के निर्णय से चल रहा था लेकिन बल्दियत किस आधार पर बदली गई ये समझ से परे है। अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर के यहां अपील संख्या 38/2014 प्रस्तुत की गई जिसमें निर्वाचक अधिकारी का निर्णय दिनांक 30.12.13 खारिज कर श्रीमान्जी द्वारा निर्णय दिनांक 29.12.14 को सुनाया जाकर पुनः निर्वाचक अधिकारी को

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण की सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया लेकिन श्रीमान्जी के निर्णय की पालना में पुनः बल्दियत राजाराम नहीं की गई उसके बाद सुनवाई की जाती। श्रीमान्जी के निर्णय दिनांक 29.12.14 के पूर्व जो अतर सिंह के लड़के कुंवर सिंह पटवारी के द्वारा पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार के माध्यम से जो जांच रिपोर्ट सबूत वास्ते फर्जी बनाकर पेश की गई तथा इसी प्रकार 08.12.14 में आक्षेप फॉर्म भी फर्जी है क्योंकि ज्वाला सिंह बनाम अतर सिंह में राजेन्द्र को उपस्थित बता रखा है तथा राजेन्द्र सिंह बनाम अतर सिंह में ज्वाला को उपस्थित बता रखा है। ये सब मिली–भगत कर एक फर्जी दस्तावेज इकट्ठा कर एक मोटी फाईल कर अधिकारी को भ्रमित कर गुमराह करने का एक षडयंत्र मात्र है। इसलिए श्रीमान्जी के निर्णय दिनांक 29.12.2014 में निरस्त है। इसलिए निर्वाचक अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड के विरूद्ध जानबूझकर अपने पद का दुरूपयोग कर 27.09.16 को गैर कानूनी निर्णय पारित किया गया है जो खारिज करने योग्य है। दिनांक 26.09.2016 को तारीख के दिन बहस होने के बाद प्रार्थी को शक हो गया तो उसी दिन ट्रांसफर ऐप्लीकेशन का प्रार्थना पत्र लगा दिया और निर्वाचक अधिकारी ने कहा कि जब ट्रांसफर ऐप्लीकेशन लग गई तो मैं क्यों सुनूंगा लेकिन निर्णय की तारीख भी दिनांक 27.09.2016 दे दी गई लेकिन प्रार्थी ने भी अगले दिन श्रीमान्जी की अदालत में ट्रांसफर ऐप्लीकेशन लगा दी गई और प्रार्थी द्वारा निर्वाचक अधिकारी से बार–बार पूछने पर कहा कि मैं निर्णय नहीं करता लेकिन 10–12 दिन बाद मिली–भगत कर दिनांक 27.09.2016 में अपने ही किये गये निर्णय दिनांक 23.02.2004 का उल्लघंन कर साजकर पद के विरूद्ध निर्णय दिया गया जो कि एक अधिकारी की कार्यशैली व बद्यांति को उजागर करता है। दिनांक 27.09.2016 खारिज करने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि अतरसिंह पुत्र राजाराम की बल्दियत का निर्णय पूर्व में निर्वाचक अधिकरी हिण्डौन सिटी द्वारा दिनांक 23.02.2014 को किया जा चुका है। जब तक उच्च न्यायालय कोई निर्णय नहीं करता तब तक निर्वाचक अधिकारी द्वारा दुबारा सुनवाई करना, न्याय सिद्धांत के विरूद्ध हैं क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार **Res Judicata** (रेस जुडिकेट) का निर्णय का उल्लघंन करना है। अतः कानूनी रूप से निर्वाचक अधिकारी द्वारा अतरसिंह की बल्दियत के संबंध में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि बिना अधिकार के पारित निर्णय प्रभावहीन है। अतः न्यायहित में निर्णय खारिज करने योग्य है। अतरसिंह पुत्र राजाराम द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.12 की प्रति पेश की है जिसका कोई औचित्य नहीं है। केश को भ्रमित एवं गुमराह करने की साजिश की जा रही है जब इस केश को उसका कोई संबंध नहीं है। चूंकि पूर्व में श्रीमान्जी द्वारा दिनांक 08.03.2004 को एवं निर्वाचक अधिकारी हिण्डौन द्वारा दिनांक 23.02.04 को विस्तृत निर्णय राजाराम की बल्दियत का हो चुका है तथा वर्तमान में अभी भी रिट याचिका सं 2960 / 04 हाईकोर्ट में लंबित (पेंडिंग) है। क्योंकि अतरसिंह पुत्र राजाराम ने सन् 2008 में अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति हुक्मीखेडा से मिलकर के विरूद्ध इस आशय का किया गया था कि मेरे पिता का नाम सोसायटी के रिकॉर्ड में राजाराम गलत चल रहा है। प्रभु किया जावे लेकिन पिछले 65 वर्षो से यानि सन् 1959 से स्वयं के द्वारा अतरसिंह पुत्र राजाराम के नाम से लगातार लोन लेता और जमा कराता रहा है और इसी बल्दियत राजाराम के नाम से अन्य कार्य भी किये गये हैं। अतः सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय में स्पष्ट करते हुए आदेश दिया गया है कि ग्राम सेवा सहकारी सोसायटी हुक्मीखेडा के रिकॉर्ड के अलावा अन्य किसी भी मुकदमे में विधिक या दीवानी अधिकार सिविल अधिकार प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि सिविल कोर्ट के निर्णय दिनांक 10.11.20 का कहीं भी किसी भी मुकदमे में उपयोग नहीं कर सकता। जबकि सिविल कोर्ट हिण्डौन में प्रार्थी ने गोदनामा भी पेश किया गया था लेकिन न जाने क्यों श्रीमान्जी ने केश में

जिला कलक्टर
करौली

नजरअंदाज किया गया। यानि ये निर्णय केवल सोसायटी तक ही सीमित है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं कि अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.20 के विरूद्ध ए.डी.जे. साहब हिण्डौन में अपील संख्या 21 / 20 में निर्णय को चुनौती दी गई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय हिण्डौन सिटी का आदेश विपक्षी अतर सिंह की कोई मदद नहीं कर सकता है। अतः कानूनी तौर पर श्रीमान् न्यायालय को सिविल न्यायाधीश का निर्णय प्रभावित नहीं कर सकता। क्योंकि श्रीमान् के समक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोई विवाद लंबित नहीं है और जब तक राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट संख्या 2960 / 04 अतरसिंह बनाम जिला कलक्टर करौली में कोई निर्णय नहीं करता तब तक सिविल न्यायालय का निर्णय प्रभावहीन है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.09.20 तारीख पेशी के दिन निवेदन किया कि साहब बहस सुन ले क्योंकि ये मुकदमा 2016 से लंबित है। विपक्षी इसको लंबा खींचना चाहता है और दिनांक 07.09.20 के दिन अपील की कार्यवाही स्थगित करने का प्रार्थनापत्र अतरसिंह द्वारा लगा दिया और यही हुआ सिविल कोर्ट के इस मुकदमे से कोई ताल्लुकात नहीं था और छः महीने के मुकदमे का विपक्षी अतरसिंह ने देरीना करने की गरज से प्रार्थी की नहीं सुनकर लंबा कर दिया जबकि रीडर को काफी निवेदन किया कि साहब सुन लें लेकिन अनसुना कर कहा कि साहब विजी हैं। अतः तारीख पेशी दिनांक 02.02.2021 के दिन प्रार्थी के वकील के द्वारा दिनांक 10.11.20 के निर्णय के विरूद्ध निवेदन किया गया है कि ए.डी.जे. साहब हिण्डौन के यहां मुकदमा नं. 21 / 20 की अपील कर दी गई है। अपील व स्टे की कॉपी भी पेश की गई और कहा कि साहब इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है क्योंकि हिण्डौन सिटी का रिकॉर्ड डी.जे. साहब करौली के यहां जमा हो गया है। इसलिये समय लग सकता है और विपक्षी अतरसिंह ने 6 महीने आगे का स्थगित करने का प्रार्थनापत्र देकर नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिये हमें भी समय देकर मौका दिया जावे। इसलिये निर्णय नहीं सुना जाकर आगे निर्णय की तारीख दे दी जावे। विपक्षी अतरसिंह अपने स्वार्थ की खातिर जमीन को हड़पने के लिए नित नये केस कर प्रार्थीयों को परेशान कर तथा इसका लड़का कुंवर सिंह पटवारी राजस्व पद का फायदा उठाकर पूर्व के किये गये निर्णय को छिपाकर अधिकारियों से सांठ–गांठ कर नुकसान पहुंचा रहा है जबकि अतरसिंह निःसंतान राजाराम के गोद चला गया तो प्राकृतिक पिता प्रभु की सम्पत्ति में से कैसे हक मांग सकता है। 65 वर्ष पुराने दस्तावेजों में अतरसिंह की बल्दियत राजाराम को बदलवाकर गुमराह करना चाहता है जो न्याय संगत नहीं है। इसलिए 27.09.16 का निर्णय खारिज करने योग्य है। उपरोक्त परिस्थिति में अपील स्वीकार कर निर्वाचक अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) हिण्डौन सिटी द्वारा पारित गैर कानूनी आक्षेपित आदेश में दिनांक 27.09.2016 खारिज करने योग्य है। निर्वाचक अधिकारी द्वारा अनुचित प्रभाव में आकर अपने पद का दुरूपयोग कर तथ्यों के विरूद्ध जानबूझकर गलत निर्णय किया है। पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2004 प्रभाव में है। अतः उसके विरूद्ध नया निर्णय करना न्यायालय की अवमानना हैं जिसके लिए अधिकारी हिण्डौन सिटी को दण्डित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2016 को खारिज करने की कृपा करें तथा भविष्य के लिए पाबंद करें।

तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लिखित बहस का जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस बिल्कुल सारहीन है। रेस्पोण्डेण्ट अतरसिंह के पुत्र कुंवरसिंह पर निजी हमले किये गये हैं। कोई कानूनी मुद्दा लिखित बहस में नहीं उठाया गया है। आज की तारीख तक समस्त मतदाता सूचियों में रेस्पोण्डेण्ट के पिता का नाम सही "प्रभु" ही दर्ज है। अपीलाण्ट एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का निर्णय

जिला कलक्टर
करौली

दिनांक 23.02.2004 के विरुद्ध अभी तक हमारी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 2 को गोदपुत्र बताते हैं परंतु आज दिन तक कोई गोदनामा पेश नहीं किया गया। सिविल कोर्ट ने भी अतरसिंह को गोदपुत्र नहीं माना। ट्रांस्फर एप्लिकेशन जजमेण्ट सुनाने के बाद लगाई गई थी जो खारिज हुई थी। Res Judicate का सिद्धान्त निर्वाचन नामावली पर लागू नहीं होता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक चुनाव से पहले निर्वाचन नामावली अद्यतन की जाती है। गलती होने पर आपत्तियां सुनी जाती हैं। सबसे पहले वर्ष 25.11.2000, 13.12.2000 के निर्णय अतरसिंह के पक्ष में निर्णित हुए। अतरसिंह के पिता का नाम सभी जगह प्रभु दर्ज है। सोसायटी के रिकॉर्ड में जो गलती हुई है, उसे दुरूस्ती का आदेश सिविल कोर्ट द्वारा दिया जा चुका हैं जिस पर कोई शर्त नहीं है। शेष आरोप गलत हैं।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का यह तर्क है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है।

1. प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र हिण्डौनसिटी की भाग संख्या 42 ग्राम हुक्मीखेड़ा की मतदाता सूची में तत्कालीन समय में क्रम संख्या 550 पर दर्ज स्वयं के नाम में स्वयं की बल्दियत (पिता का नाम राजाराम के स्थान पर प्रभु) संशोधित करवाये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी के कार्यालय में प्ररूप 8 में आवेदन पेश किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा उक्त आवेदन को दिनांक 30.12.2013 को स्वीकार किया गया जिसकी अपील न्यायालय हाजा में किये जाने पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.2014 द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उभय पक्षकारान को सुना जाकर विस्तृत आदेश दिनांक 27.09.2016 को पारित किया गया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम प्रभु स्वीकार किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।
2. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि अपीलाण्ट के वकील श्री रमेश गुप्ता एडवोकेट हिण्डौन सिटी ने आदेश दिनांक 27.09.2016 के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि आवेदन पत्र राजेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 04.10.2016 को पेश किया था जिस पर संबंधित न्यायालय के कार्यालय ने दिनांक 06.10.2016 को प्रतिलिपि तैयार होने पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कराये। दिनांक 06.10.2016 को नकल तैयार होने की तारीख को अपीलाण्ट एवं तेजसिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह ने साज कर दिनांक 06.10.2016 नकल तैयार करने की तारीख को जालसाजी से पहले 6 को एक बनाने की कोशिश की फिर 6 के पीछे 1 बढ़ाकर 16 व 11 तारीख म्याद की दृष्टि से वैल्यूऐबिल राईट प्राप्त करने की दृष्टि से जालसाजी की है। इसकी नकल में दिनांक 16.10.2016 को लिखकर रमेश एडवोकेट के मुंशी ओमप्रकाश के जाली हस्ताक्षर ओमी कर जालसाजी की है। दिनांक 11.10.2016 को दशहरे का अवकाश था तथा दिनांक 16.10.2016 को रविवार का अवकाश था। हकीकत यह है कि दिनांक 06.10.2016 को तैयार नकल पर अपीलाण्ट व उसके ताऊ के लड़के तेजसिंह ने मिलकर फर्जी कार्यवाही की है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का तर्क है कि प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा आदेश दिनांक 27.09.2016 की प्रमाणित प्रति जो पेश की है इसमें अपीलाण्ट व उसके भतीजे तेजसिंह द्वारा कोई जालसाजी नहीं की गई है। जो नकल जैसी अपीलाण्ट को मिली है, वह

जिला कलक्टर
करौली

उसने पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर नहीं होकर मियाद में है। उक्त संबंध में इस न्यायालय का मत है कि मूल रिकॉर्ड निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के कार्यालय में है व उन्हीं के द्वारा नकल जारी की गई है। अतः इस संबंध में जांच हेतु एवं अनियमितता / जालसाजी पाये जाने पर पृथक से नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी को अधिकृत किया जाना उचित है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का तर्क है कि अतरसिंह, राजाराम के गोद चला गया था। सहकारी समिति हुक्मीखेड़ा में अतरसिंह की वल्दियत राजाराम दर्ज है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 का कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया गया है। सहकारी समिति हुक्मीखेड़ा में प्रत्यर्थी संख्या 2 की वल्दियत गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उसको दुरुस्त करवाने की कार्यवाही सहकारी समिति, हुक्मीखेड़ा व उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां करौली कार्यालय में की गईं परंतु विफल रहने पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौनसिटी में दावा दायर किया गया जिसमें दिनांक 10.11.2020 को दावा स्वीकार करते हुए सहकारी समिति में प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह पुत्र राजाराम के स्थान पर अतरसिंह पुत्र प्रभु संशोधित करने के आदेश पारित किये हैं। उभय पक्षकारों की बहस एवं सिविल न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कर मनन किया गया। न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश हिण्डौनसिटी के निर्णय दिनांक 10.11.2020 में यह विवेचना है कि–

"27. उपरोक्त दोनों पक्षों के साक्ष्यों के सम्मिलित रूप से विवेचन विश्लेषण से यह समक्ष आता है कि वादी निश्चित रूप से प्रभु का ही प्राकृतिक पुत्र है, जो कि दोनों पक्षों के स्वीकृत होने से अविवादित तथ्य है। यद्यपि प्रतिवादी पक्ष का यह तथ्य रहा कि वादी अतरसिंह अपने ताउ राजाराम के गोद चला गया था जो कि सन् 1950 में ही गोद की रस्म हो गयी थी। परंतु उक्त कथित गोदनामे के ना तो कोई गवाह प्रस्तुत हैं ना ही कोई लिखापढ़ी पेश की गई है। तथा यहां यह प्रश्न भी अनुत्तरित रहता है कि यदि वर्ष 1950 में ही वादी अतरसिंह, राजाराम के गोद चला गया था तो उसके समस्त अहम दस्तावेजों में उसकी वल्दियत में प्रभु का नाम किस प्रकार दर्ज है। और यह भी साक्ष्यों से समक्ष आता है कि वादी सहकारी समिति के अभिलेख में भी अपने पिता का नाम की दुरुस्ती प्रारंभ से ही चाहता था और इस हेतु उसने सहकारी समिति में भी कार्यवाही की थी परंतु जब सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा उसके पिता का नाम सही नहीं किया गया तब वादी ने यह दावा सहकारी समिति के अभिलेख में पिता के नाम के संशोधन हेतु प्रस्तुत किया है तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेज में पूर्व से ही उसके पिता का नाम प्रभु होना साबित है। जैसा कि वादी स्वयं कहता है कि उसके समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों में पिता का नाम प्रभु ही दर्ज है। व प्रतिवादी ज्वालासिंह भी अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि वादी के राशनकार्ड व बैंक खातों में उसके पिता का नाम प्रभु दर्ज है। तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि वह प्रभु का नैसर्गिक पुत्र है और वादी के राजाराम के गोद जाने से तथ्य को प्रतिवादी पक्ष दृढ़ साक्ष्यों से साबित नहीं कर पाया है। जबकि वह इसी आधार पर दावे में संयोजित हुआ था कि वादी राजाराम के गोद गया है और उसका दत्तक पुत्र होने से वह अपने पिता का नाम प्रभु दुरुस्त कराने का अधिकारी नहीं है।

जिला कलक्टर
करौली

28. उपरोक्त विवेचनानुसार यह पाया जाता है कि वादी अपने अभिवचनों के अनुसार इस तथ्य को साबित करने में सफल रहा है कि सहकारी समिति के अभिलेख में उसके पिता का नाम राजाराम गलती से दर्ज हुआ था। और वह उसकी दुरुस्तीकरण का अधिकारी है। जबकि वादी अतरसिंह के राजाराम का दत्तक पुत्र होने बाबत् तथ्य को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 साबित करने में असफल रहते हैं। अतः विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरुद्ध तय किये जाते हैं।"

इस प्रकार अपीलार्थी सिविल न्यायालय में भी इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह, राजाराम के गोद चला गया था। सिविल न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतरसिंह, प्रभु का ही नैसर्गिक पुत्र है जो कि सिविल न्यायालय व इस न्यायालय में उभय पक्षकारान का स्वीकृत तथ्य है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि पूर्व में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी द्वारा दिनांक 23.02.2004 को आदेश पारित किया गया था जिसमें ग्राम हुक्मीखेड़ा की मतदाता सूची में अतरसिंह की वल्दियत राजाराम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई थी जो दिनांक 08.03.2004 को खारिज हुई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील पेश की गई थी जो आज दिनांक तक लंबित है। चूंकि उक्त निर्णय दिनांक 23.02.2004 आज तक प्रभाव में है, इसलिये उसी प्रकरण में उसी न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2 का तर्क है कि Res-Judicata का सिद्धांत निर्वाचक नामावली कर लागू नहीं होता है। निर्वाचन नामावली को अद्यतन किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक चुनाव से पूर्व निर्वाचन नामावली को अद्यतन किया जाता है। निर्वाचक नामावली में गलती होने पर आपत्तियां सुनी जाती हैं। सबसे पहले दिनांक 25.11.2000 एवं 13.12.2000 के निर्णय अतरसिंह के पक्ष में निर्णित हुए हैं। फिर किस आधार पर दिनांक 23.02.2004 का निर्णय पारित किया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय का मत है कि निर्वाचन मतदाता सूची तैयार करना एक सतत् प्रक्रिया हैं जो प्रत्येक चुनाव से पहले एवं मध्य में भी चुनाव आयोग के कार्यक्रम अनुसार अद्यतन की जाती है जिसमें दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाकर उनका निस्तारण किया जाता है। मतदाता सूची नाम, पिता का नाम आदि की घोषणा नहीं है और ना ही मतदाता सूची में दर्ज गलत प्रविष्ठियों के संशोधन हेतु पेश की जाने वाली आपत्ति उनकी घोषणा का दावा है। मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्ठियों का लाभ मतदाता सूची तक ही सीमित रहता है। अन्य दीवानी मामलों में उसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.2020 में भी यह सिद्धान्त दिया है कि –

"विवाद्यक संख्या 03

29. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 व 04 का था। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा कि वादी की वल्दियत के बाबत् राजस्व न्यायालय व निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियां हुई हैं। तथ कई आदेशों के द्वारा राजस्व न्यायालय व निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वादी के पिता नाम राजाराम माना है और उक्त आदेश वादी द्वारा दावा पेश किये जाने से पूर्व के हैं। अतः वादी का दावा पूर्व न्याय सिद्धान्त के तहत खारिज किये जाने योग्य है। इसके विरोध में वादी के विद्वान अधिवक्ता

जिला कलक्टर
करौली

द्वारा तर्क दिये गये कि दिनांक 30.12.2013 के राजस्व न्यायालय के आदेश से वादी की वल्दियत प्रभु अंकित की गई थी और उक्त आदेश प्रतिवादीगण के बताये गये आदेशों से पूर्व का है। अतः पूर्व न्याय के सिद्धांत के अनुसार ही राजस्व न्यायालय के वर्ष 2004 से पूर्व के आदेशों से यह तथ्य साबित है कि वादी के पिता का नाम प्रभु है और प्रतिवादीगण द्वारा की गई समस्त आपत्तियां व वर्ष 2004 में हुए राजस्व न्यायालय के आदेश पूर्व न्याय की सिद्धांत के अनुसार चलने योग्य नहीं हैं।

30. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया व इस संबंध में विधिक प्रावधानों व कानूनी स्थिति का अवलोकन किया गया। तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पूर्व न्याय के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई बिन्दु/विवाद्यक किसी न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत कर दिया गया हो तो उस बिन्दु का पश्चात्वर्ती न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया जावेगा, यदि वह बिन्दु/विवाद्यक प्रत्यक्षतः और सारतः पूर्ववर्ती वाद में मौजूद हो और दोनों वादों में समान पक्षकार हों। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष में हुई कार्यवाहियां यद्यपि वादी की वल्दियत से संबंधित थीं परंतु उक्त कार्यवाहियां दावा नहीं थीं और उक्त कार्यवाहियां जो कि मात्र निर्वाचन नामावली में पिता के नाम में दुरुस्ती हेतु की गई थीं, पूर्ववर्ती वाद नहीं मानी जा सकती। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि जहां किसी पक्षकार के दीवानी अधिकारों का प्रश्न होता है तो वह मामला राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित/निर्णीत नहीं किया जा सकता, बल्कि दीवानी न्यायालय ही पक्षकार के दीवानी अधिकारों के बाबत् अंतिम निर्णय पारित करने में सक्षम हैं। अतः राजस्व न्यायालय/निर्वाचक पदाधिकारी द्वारा किये गये आदेश निर्वाचन नामावली की हद तक ही प्रभावी व प्रासांगिक हैं। उनका इस दीवानी न्यायालय पर कोई प्रभाव विधि अनुसार नहीं होगा। अतः उक्त विवाद्यक को प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के विरुद्ध व वादी के पक्ष में तय किया जाता है।"

उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि निर्वाचन नामावली के अद्यतन की प्रक्रिया सतत् होने, प्रत्येक चुनाव से पूर्व निर्वाचन नामावली को अद्यतन किये जाने, निर्वाचन नामावली के घोषणा का दावा नहीं होने के कारण निर्वाचन नामावली पर पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकार एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन के कार्यालय में पेश किये गये दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र 18.11.1995, मूल निवास प्रमाण पत्र 14.08.1989, अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र 05.12.2011, राशनकार्ड, जमाबंदी खाता संख्या 1 नया ग्राम हुक्मीखेड़ा संवत् 2067–70 आदि सभी दस्तावेजों में प्रत्यर्थी संख्या 2 के पिता का नाम प्रभु दर्ज है। अतः सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2020 में दिये गये तथ्यों व तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन का आलोच्य आदेश दिनांक 27.09.2016 यथावत् रखा जाता है। लेकिन यह आदेश केवल निर्वाचक नामावली में अद्यतन हेतु ही लागू होगा। इस निर्णय के आधार पर अन्य दीवानी व विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की नकल जारी करने में हुई अनियमितता की जांच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी को अधिकृत किया जाता है। यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाई जाती है तो उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी संबंधित के विरुद्ध पृथक से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। निर्णय की

जिला कलक्टर
करौली

प्रमाणित प्रति के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर
करौली